न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 319/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/472**
दायर दिनांक :– 29.11.2024 **निर्णय दिनांक :– 08.12.2025**

1. परमाराम पुत्र मगाराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
2. तेजाराम पुत्र मगाराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
3. ताराराम पुत्र मगाराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
4. गजारामम पुत्र मगाराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी
5. सगताराम पुत्र मगाराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमला तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. भैराराम पुत्र शंकरा जाति भील निवासी ग्राम मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
3. पुरखाराम पुत्र शंकरा जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
4. भोमाराम पुत्र शंकराराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
5. गुणाराम पुत्र शंकरा जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
6. आरसी पत्नी जुगताराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
7. कमला पुत्री जुगताराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
8. चेतनराम पुत्र जुगताराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
9. निजु पुत्री जुगताराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
10. पदमाराम पुत्र जुगताराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
11. रेशम पुत्री जुगताराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
12. शांति पुत्री जुगताराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
13. सिधुराम पुत्र जुगताराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
14. ओमाराम पुत्र किशनाराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
15. जेठाराम पुत्र किशनाराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
16. पपुराम पुत्र किशनाराम जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी
17. सुरजाराम पुत्र शंकरा जाति भील निवासी मोतीनगर, जैमलां तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप

Sathy...

उपखण्ड कलेक्टर

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 308/8 रकबा 8.1261 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 308 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 3 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 308/2 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 4 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 308/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 308/5 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 6 ता 13 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 308/6 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 14 ता 16 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 308/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी सं. 17 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 391/308 रकबा 1.1008 हैक्टेयर भूमि मौजा मोतीनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 308/8 रकबा 8.1261 हैक्टेयर भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा व काश्त लगातार चला आ रहा है और प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेता आ रहा है। अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 द्वारा पटवारी हल्का से मिलावट कर प्रार्थी से बाले–बाले ग्राम मोतीनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 308/8 रकबा 8.1261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/2 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/5 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/6 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 391/308 रकबा 1.1008 हैक्टेयर भूमि की नक्शा ट्रेस में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 के कब्जा काश्त के वितरीत तरमीम करवादी। जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम मोतीनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 308/8 रकबा 8.1261 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/2 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/5 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/6 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 391/308 रकबा 1.1008 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 के कब्जा व काश्त के विपरीत की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है नजरी नक्शा प्रार्थना के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17

Sahu..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम मोतीनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 308/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/8 रकबा 8.1261 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पटवारी रिपोर्ट अनुसार तरमीम को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के खातों का एकीकरण किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम मोतीनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 308/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/8 रकबा 8.1261 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे निरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर एकीकरण किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मोतीनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 308/4 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308/8 रकबा 8.1261 हैक्टेयर भूमि की तरमीम निरस्त की जाकर एकीकरण किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)